भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1906
दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध के बढ़ते मामले

1906. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देशभर में, विशेषकर महाराष्ट्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान दर्ज किए जा रहे साइबर अपराध के मामलों की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान धोखाधड़ी करने वालों द्वारा गबन की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रक्रिया में कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान धोखाधड़ी करने वालों से वसूल की गई धनराशि के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने धोखाधड़ी करने वालों को दोषसिद्ध किया गया?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 के दौरान साइबर अपराधों संबंधी धोखाधड़ी

(माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों एवं दोषसिद्ध व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना, चेतावनी/ एडवाइजरी जारी करना, विधि प्रवर्तन कार्मिकों/ अभियोजकों/ न्यायिक अधिकारियों का क्षमता निर्माण/ प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं को बेहतर बनाना आदि शामिल हैं। सरकार ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) को एक संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित किया है।

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी)' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक 13.36 लाख से अधिक शिकायतों में 4,386 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा अता.प्र.सं. 1906, दिनांक 11.03.2025

वर्ष 2018-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले (सीआर)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	1207	1886	1899	1875	2341
2	अरुणाचल प्रदेश	7	8	30	47	14
3	असम	2022	2231	3530	4846	1733
4	बिहार	374	1050	1512	1413	1621
5	छत्तीसगढ़	139	175	297	352	439
6	गोवा	29	15	40	36	90
7	गुजरात	702	784	1283	1536	1417
8	हरियाणा	418	564	656	622	681
9	हिमाचल प्रदेश	69	76	98	70	77
10	झारखंड	930	1095	1204	953	967
11	कर्नाटक	5839	12020	10741	8136	12556
12	केरल	340	307	426	626	773
13	मध्य प्रदेश	740	602	699	589	826
14	महाराष्ट्र	3511	4967	5496	5562	8249
15	मणिपुर	29	4	79	67	18
16	मेघालय	74	89	142	107	75
17	मिजोरम	6	8	13	30	1
18	नागालैंड	2	2	8	8	4
19	ओडिशा	843	1485	1931	2037	1983
20	पंजाब	239	243	378	551	697
21	राजस्थान	1104	1762	1354	1504	1833
22	सिक्किम	1	2	0	0	26
23	तमिलनाडु	295	385	782	1076	2082
24	तेलंगाना	1205	2691	5024	10303	15297
25	त्रिपुरा	20	20	34	24	30
26	उत्तर प्रदेश	6280	11416	11097	8829	10117
27	उत्तराखण्ड	171	100	243	718	559
28	पश्चिम बंगाल	335	524	712	513	401
	कुल राज्य	**26931**	**44511**	**49708**	**52430**	**64907**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	2	5	8	28
30	चंडीगढ़	30	23	17	15	27
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव +	0	3	3	5	5
32	दिल्ली	189	115	168	356	685
33	जम्मू और कश्मीर*	73	73	120	154	173
34	लद्दाख	-	-	1	5	3
35	लक्षद्वीप	4	4	3	1	1
36	पुदुचेरी	14	4	10	0	64
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**317**	**224**	**327**	**544**	**986**
	कुल (अखिल भारत)	**27248**	**44735**	**50035**	**52974**	**65893**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।
नोट: '+' वर्ष 2018-2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े,
'*' वर्ष 2018-2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े.

अनुलग्नक-II

लोक सभा अता.प्र.सं. 1906, दिनांक 11.03.2025

वर्ष 2018-2022 के दौरान साइबर अपराधों संबंधी धोखाधड़ी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले (सीआर), और दोषसिद्ध व्यक्ति(पीसीवी)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018		2019		2020		2021		2022	
		सीआर	पीसीवी	सीआर	पीसीवी	सीआर	पीसीवी	सीआर	पीसीवी	सीआर	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	195	0	703	0	764	2	952	3	984	3
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0
3	असम	6	0	83	0	58	0	82	0	16	0
4	बिहार	357	0	1008	17	1294	0	1373	2	1441	2
5	छत्तीसगढ़	18	0	35	0	71	0	67	0	42	0
6	गोवा	0	0	0	0	1	0	1	0	11	0
7	गुजरात	139	0	107	0	205	0	208	0	108	0
8	हरियाणा	0	0	107	0	36	0	52	0	44	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0	6	0	9	0
10	झारखंड	175	0	18	2	83	1	79	0	98	0
11	कर्नाटक	49	0	7	0	0	0	6	0	0	0
12	केरल	14	0	14	0	6	0	16	0	26	0
13	मध्य प्रदेश	43	8	25	1	69	0	89	0	180	9
14	महाराष्ट्र	1036	0	1681	0	2032	0	1678	45	2202	0
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	392	0	956	0	1079	0	1205	0	957	0
20	पंजाब	7	2	35	0	16	0	29	0	61	0
21	राजस्थान	72	0	324	1	332	0	371	0	292	13
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	5	0	11	0	5	0	107	0	251	0
24	तेलंगाना	347	0	282	3	3316	202	7003	5	9581	46
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	454	2	813	16	837	41	614	18	766	87
27	उत्तराखण्ड	28	0	3	0	1	0	0	0	31	0
28	पश्चिम बंगाल	4	0	0	0	145	0	40	0	30	0
	कुल राज्य	**3341**	**12**	**6212**	**40**	**10364**	**246**	**13980**	**73**	**17130**	**160**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	3	0	11	0	31	0	19	0	331	0
33	जम्मू और कश्मीर*	3	0	6	0	0	0	8	0	7	0
34	लद्दाख	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**12**	**0**	**17**	**0**	**31**	**0**	**27**	**0**	**340**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**3353**	**12**	**6229**	**40**	**10395**	**246**	**14007**	**73**	**17470**	**160**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

नोट: '+' वर्ष 2018-2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े,

'*' वर्ष 2018-2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े.